1617/DSG. III
10.8.18

No. 515 PS(Agri.)
Dated 7/8/18

NO. 11267
Dated 8/8/18

VIDHAN SABHA SESSION
ASSEMBLY QUESTION
MOST IMPORTANT

Subject: **Time Bound Action on Starred/Unstarred Assembly Question.**

Haryana Vidhan Sabha Session will commence on 17.08.2018. The following be strictly adhered:-

a) On receipt of information on Starred/Unstarred Assembly Questions from Haryana Vidhan Sabha the concerned Section/Branch will take immediate necessary action to process and put up the case file with full facts, Note for Pad, reply/statement to the question, supplementary questions background of the case, budget provision etc. for the approval of competent authority. After taking the approval of the competent authority, prescribed number of copies will be prepared and supplied to the quarters concerned in a time bound manner.

b) The concerned Section/Branch should also procure the printed set of the Starred/Unstarred Assembly Questions of the day on which the question of listed from the Vidhan Sabha Secretariat without fail and supply of PS Agri. well in time.

c) The relevant Section/Branch should also prepare and put up the detailed history of the case, budget provision etc. as background material in the case file.

d) Separate folders containing supplementary questions, reply/statement, Note for pad, detailed history of the case, budget provision etc. duly approved by the competent authority, be supplied to PS Agri/Hon'ble AM/APSCM well before the Hon'ble CM's scheduled briefing.

Kindly circulate the above instructions to all the concerned officers/in-charge for strict compliance with the directions that any laxity in this regard would be viewed seriously.

7/8/18

(Dr. Abhilaksh Likhi, IAS)
Principal Secretary to Govt. of Haryana
Agriculture & Farmers Welfare Department

Dir. A&FW
Dt. 07-08-18

Director, Agriculture
DG, Horticulture
All MD's of Board's/Corporation's
Under Secretary, AD Branch

DIRECTORATE OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE, HARYANA, PANCHKULA

Endst.No. 11453 – 603 /E-III(5) Dated: 10.08.2018

A copy of the above is forwarded to the following:

1 All Addl. Directors/ Joint Directors } Directorate of Agri. & Farmers Welfare, Haryana, Panchkula
2 All Head of Secton }
3 All Branch Incharges
4 All subordinate Offices in Agriculture & Farmers Welfare Department, Haryana

for information and further necessary action.

विधान सभा कार्य /

परम अग्रता

विषय:– हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन–विधान सभा कार्य को तुरन्त निपटाने बारे ।

कृपया सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 17 अगस्त, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे आरम्भ होगा । अतः इससे सम्बन्धित कार्य प्रत्येक स्तर पर परम अग्रता से किया जाना आवश्यक है । अतः उनसे अनुरोध किया जाता है कि :–

1) वे विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि विधान सभा प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के उत्तर विधान सभा में समय पर पहुंच जायें । इस सम्बन्ध में उनका ध्यान सचिवालय अनुदेश पुस्तिका प्रथम संस्करण 1989 के पैराग्राफ 346(सी) की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देय तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने होते हैं। इस का कड़ाई से पालन किया जाये । यदि किसी कारणवश उत्तर तैयार करने में देरी हो तो ऐसे हालात में कम से कम 24 घन्टे पूर्व प्रश्न के उत्तर की प्रतियां हरियाणा विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दी जायें । कई केसों में यह देखने में आया है कि प्रश्नावधि जिसके दौरान उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना होता है प्रातः 10.00/2.00 बजे सायं आरम्भ होता है और प्रश्न के उत्तर की प्रतियां शाखा में क्रमशः प्रातः 9.15/1.45 बजे सायं उपलब्ध कराई जाती हैं । इससे सरकार के लिये बड़ी embarrassing स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उनसे अनुरोध किया जाता है कि विधान सभा प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षित प्रतियां उन प्रश्नों के उत्तर देने की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) में सायं 2.30 बजे तक हर हालत में उपलब्ध करवा दी जाया करें और यदि किसी प्रश्न के सन्बन्ध में ऐसा करना सम्भव न हो तो उसके कारण लिखित रूप में एक दिन पहले चार बजे तक संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को अवश्य सूचित कर दिये जाया करें । किसी भी प्रकार की देरी के लिये प्रशासकीय सचिव की निजि जिम्मेदारी होगी ।

2) विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तथा 'नोट फॉर दी पैड' में दी गई सूचना हर प्रकार से ठीक होनी चाहिये । उत्तर के साथ 'इन्डैक्स आफ इन्फारमेशन' भी लगाया जाये । यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों का निजि उत्तरदायित्व होगा। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि विधान सभा तारांकित प्रश्नों के उत्तर की 165–165 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी) तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर की 110–110 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) विधान सभा को भेजी जानी हैं ।

3) यदि सचिव, हरियाणा विधान सभा द्वारा भेजा गया प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उस विभाग को भेज दिया जाता है जिस से वह सम्बन्ध नही रखता तो उस विभाग के प्रशासकीय सचिव की यह

वापिस न भेजे जायें । सभी प्रशासकीय सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित अधिवेशन के दौरान उठाये गये मुद्दे नोट करें व उसी दिन उस बारे अपनी टिप्पणी प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महोदय को भिजवायें ।

4) प्रत्येक विभाग में जिस अधिकारी को विधान सभा के प्रश्नों, ध्यानाकर्षण नोटिसों आदि से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया हो, उसके नाम तथा पद की सूचना (कार्यालय तथा आवास टेलीफोन नम्बर सहित) संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) व मुख्य मंत्री सचिवालय को विशेष वाहक द्वारा तत्काल भिजवाना भी सुनिश्चित किया जाये ।

5) विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, (सिवाय अध्यादेशों के) की 275--275 प्रतियों (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक–एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा सचिवालय को समय पर भिजवा दें । अध्यादेशों व बिलों की 315--315 प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) में एक--एक साक्ष्यांकित प्रति सहित विधान सभा को समय पर भिजवा दें । सम्बन्धित अधिनियम (Bare Act) की 150 प्रतियां बिल के साथ विधान सभा को भेजी जायें व सभी दस्तावेजों की 15 प्रतियां मुख्य मंत्री सचिवालय, एक–एक प्रति संसदीय कार्य मंत्री व मुख्य सचिव के निजी सचिव तथा 6 प्रतियां सम्बन्धित अधिनियम (Bare Act) की प्रतियों सहित संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जायें । इसी प्रकार सभी दस्तावेजों, सरकारी प्रस्ताव/विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ ध्यानाकर्षण नोटिस आदि के उत्तरों की प्रतियां समय पर विधान सभा में भिजवा दी जायें ताकि यह विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा के सदस्यों को समय रहते उपलब्ध कराई जा सकें ।

6) अध्यादेश की प्रतियां, हरियाणा विधान सभा को उनके ई–मेल आई–डी legislative.vs-hry@gov.in पर भी तुरन्त भेजी जानी हैं व इस मामले में सरकार के पत्र क्रमांक 3/8/2010–1 पोल दिनांक 29 फरवरी, 2016, जिसकी प्रति csharyana.gov.in पर political and parliamentary affairs में उपलब्ध है की अनुपालना सुनिश्चित की जाये ।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों का कृपया दृढ़ता से पालन किया जाये ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/10/2009--1सं0 का0 — दिनांक चण्डीगढ़, 03.08.2018
पृ0 क्रमांक 1/10/2009–1सं0 का0 — दिनांक चण्डीगढ़ 03.08.2018

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य

विधायी कार्य / परम अग्रता

विषयः-- हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्यक्रम की तैयारी।

कृपया सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करें ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 17 अगस्त, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे बुलाया गया है । उसकी तैयारी के सिलसिले में वे कृपया अपने अधीन सभी विभागों से सम्बन्धित विधायी कार्य के बारे में तुरन्त जांच करवा लें तथा जिस भी नये अधिनियम की आवश्यकता हो या जिस किसी अधिनियम में संशोधन करना हो, उसके प्रस्ताव को तुरन्त अंतिम रूप दें और बिना किसी विलम्ब के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये । उनसे यह भी अनुरोध है कि इस सत्र के दौरान उनके विभागों से सम्बन्धित जो भी सूचनायें व अन्य कागज पत्र विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हैं उन पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये और इस बारे में संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को दिनांक 10 अगस्त, 2018 तक अवश्यमेव सूचित किया जाये । यह सूचना समय पर न आने पर यह समझ लिया जायेगा कि उन द्वारा कोई सूचना नहीं दी जानी है और सरकारी विधायी कार्यक्रम तदनुसार तैयार कर लिया जायेगा । बाद में यदि किसी स्तर पर यह ध्यान में आया कि विधान सभा को भेजी जाने वाली सूचना सचिव, हरियाणा विधान सभा को या इस विभाग को समय पर नहीं भेजी गई तो उसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव की होगी ।

3 उनसे अनुरोध है कि अपेक्षित बिलों / विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कागजों की 6-6 प्रतियां Bare Act सहित राजनैतिक शाखा को विशेष वाहक द्वारा उपरोक्त तिथि तक अवश्य भिजवा दी जाये ताकि सरकारी विधायी कार्यक्रम तैयार किया जा सके । बिलों के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचना अवश्य दी जाये:-

i. बिल का टाईटल ।
ii. बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का संक्षिप्त विवरण । (यह सूचना देनी अत्यावश्यक है)
iii. क्या बिल मनी बिल है या नहीं ?
iv. क्या बिल राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर तैयार किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो अध्यादेश का ठीक टाईटल बताया जाये व अध्यादेश की प्रतियां भी साथ लगाई जायें ।
v. क्या बिल का प्रारूप विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है, या नहीं, यदि नहीं तो प्रारूप तैयार किये जाने में कितना समय लगेगा ?
vi. यदि बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है तो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक ज्ञापन की प्रतियां भी भेजी जायें।

4. हरियाणा विधान सभा विधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जाना होता है । यदि किसी कारण 15 दिन का नोटिस या विधेयक को विधान सभा में कम से कम 15 दिन पहले भेजना सम्भव न हो तो इसके कारण विशेष रूप में विधान सभा को विधेयक भेजते समय साथ

किये जायें । यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे हालात में विधेयक विधान सभा सचिवालय को कम से कम 5 दिन पूर्व अवश्य भेज दिये जायें ताकि विधान सभा सचिवालय द्वारा विधेयक, सदस्यों के बीच, समय रहते परिचालित किया जा सके ।

5. राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेशों की 315–315 प्रतियां (अंग्रेजी व हिन्दी में) एक–एक प्रमाणित प्रति सहित सदन में प्रस्तुत करने हेतु, यदि पहले न भेजी गई हों तो, सचिव, हरियाणा विधान सभा को तुरन्त भिजवा दी जायें । अध्यादेश की प्रतियां अध्यादेश के जारी होने पर तुरन्त ही सचिव, हरियाणा विधान सभा को भेजी जानी होती है । अध्यादेश से सम्बन्धित मूल अधिनियम (Bare Act) की 150–150 प्रतियां विधान सभा को अवश्य भेजी जायें ।

6. अध्यादेश की प्रतियां हरियाणा विधान सभा को उनके ई–मेल आई–डी legislative.vs-hry@gov.in पर भी तुरन्त भेजी जानी हैं व इस मामले में सरकार के पत्र कमांक 3/8/2010–1 पोल दिनांक 29 फरवरी, 2016, जिसकी प्रति csharyana.gov.in पर political and parliamentary affairs में उपलब्ध है की अनुपालना सुनिश्चित की जाये ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

अधीक्षक संसदीय कार्य
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ़ 03.08.2018

अशा0 कमांक 1/10/2009–1सं0 का0

<<0>>